

36

डिक्री बमुकदमें ईब्लदाई
अ. आदेश 20 नियम 6-7 व्या.प्रक्रियां संहिता
न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी, टिब्बी
पीठासीन अधिकारी-उम्मेद सिंह रतनू आर.ए.एस.
प्रकरण संख्या:-382/2018

1. शोभित गोदारा पुत्र सुनिल कुमार जाति जाट निवासी सालीवाला तहसील टिब्बी।
-वादी

बनाम

1. सुनिल कुमार पुत्र राजाराम
2. शारदा देवी पत्नी सुनिल कुमार } जाति जाट निवासी सालीवाला तहसील टिब्बी।
-प्रतिवादीगण

यह राजस्व मुकदमा आज मुझ उम्मेद सिंह रतनू आर.ए.एस.के समक्ष वास्ते इनफिसाल कतई रोबरू हमारे बहाजरी श्री अरविन्द नैण वकील वादी मिन जामिन मुदई श्री रोहिताश चाहर प्रतिवादीगण मिन जानिब मुदायला पेश होकर हुक्म दिया जाता है व डिग्री दी जाती है कि प्रतिवादी सं० 1 के नाम से वाके चक नं० 5 एमकेएस के खाता सं० 169 के प०न० 202/212 मु० 6 किला नं० 23 के प०न० 199/213 मु० 13 किला नं० 21,22, प०न० 199/214 मु० 18 किला नं० 1,2,9,10,11, 12,19,20,21,22 कुल 3.289 है० नहरी कृषि भूमि का वादी को खातेदार काश्तकार घोषित किया जाकर चक नं० 5 एमकेएस के खाता सं० 169 में से प्रतिवादी सं० 1 का नाम कलमजन किये जाने के आदेश दिये जाते हैं। इसी अनुसार राजस्व अभिलेख में अंकन किया जावे। उक्त आराजी पर बैंक ऋण की स्थिति रहन मुक्त होने के पश्चात् राजस्व रिकार्ड में अमल दरामद किया जावे। खर्चा पक्षकारान अपना-अपना वहन करेंगे।

निज.....निल.....मुब्लिक.....निल.....बाबत्.....निल.....खर्चा मुकदमें के मय शुद वा शरह फीसदी सालाना आज की तारीख वसूलयाबी तक 11.1.18.....अदा करें।

बसब्त मेरे दस्तख्त एवं मुहर अदालत से आज दिनांक.....11.1.18.....को जारी किया गया।



(उम्मेद सिंह रतनू)
सहायक कलक्टर एवं
उपखण्ड अधिकारी, टिब्बी